न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़।

प्रकरण संख्या :– 10......./2018

प्रार्थना–पत्र :– रामचन्द पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0.)।

निर्णय

दिनांक :– 26/4/18

प्रार्थी रामचन्द पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ ने दिनांक 06.02.2018 को इस कार्यालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दादा देवला पुत्र बिजला राम जाति बावरी के नाम से चक 87 जीबी में प.न. 289/426, 292/426 का 17.18 विस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के दादा ने अपने जीवनकाल में उक्त रकबा की वसीयत प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 14.7.88 को पंजीबद्ध उपपंजीयक कार्यालय अनूपगढ़ से करवाई थी। प्रार्थी ने वसीयत दस्तावेज की प्रति व दादा के मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति प्रस्तुत कर वसीयत अनुसार नामान्तकरण किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली संधारित कर पेशी पर ली गई। सर्वप्रथम सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर उज्रात आमंत्रित किये गये वा पटवारी हल्का से मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट तलब की गई एवं प्रार्थी को वसीयत प्रार्थना–पत्र की पुष्टि में साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 78 जीबी के चक 87 जी.बी. का खाता संख्या 96 का मु.नं. 40,प.नं. 289/426 का 3.594 है. नाली दोयम कृषि भूमि देवला वल्द बीझला कौम बावरी सा. देह के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, इसी खाता में शेष 0.201 है. भूमि खाला के रूप में देवला वल्द बीझला के नाम से रिफ्यूजी आ. गैर खातेदारी दर्ज है। अन्य खाता संख्या 97 पर मु.नं. 37 प.नं. 292/426 का 0.759 है. नाली दोयम कृषि भूमि देवला वल्द बीझला के नाम से खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वसीयतकर्ता द्वारा स्वःअर्जित है। उक्त भूमि की सनद दिनांक 31.10.83 को जारी हुई थी। उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय का वाद या स्थगन आदेश नहीं है तथा भूमि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा काश्त की जा रहीं है। सार्वजनिक आपत्ति सूचना समाचार पत्र लोक सम्मत में दिनांक 18.02.18 को प्रकाशित करवाई गई, जिस पर आज तक किसी ने कोई उज्र एतराज पेश नहीं किया है। वसीयतनामा की पुष्टि में गवाह हरीराम पुत्र पचानाराम का शपथ–पत्र तथा दुसरे गवाह मीराराम पुत्र लालूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत हुआ जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया।

इस प्रकरण में वसीयत दस्तावेज में खातेदार देवला पुत्र बिजला राम ने अपनी स्वःअर्जित चक 87 जीबी में प.न. 289/426, 292/426 का 17.18 विस्वा खातेदारी भूमि की वसीयत अपने पोते रामचन्द पुत्र किशनाराम जाति बावरी निवासी 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ़ के पक्ष में निष्पादित की हुई है। मुताबिक पटवारी रिपोर्ट इस प्रकरण में कोई स्थगन/विवाद नहीं है। भूमि मौका पर रामचन्द द्वारा काश्त की जा रहीं है समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के बावजूद किसी ने वसीयत के प्रति कोई एतराज प्रस्तुत नहीं किया है।

उक्त मिसल में प्रस्तुत सबूतो का भली भांती अध्ययन किया व भली भांती विवेचन किया गया जिसके आधार पर प्रार्थी का हस्तगत वसीयत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व पटवारी हल्का को आदेश दिये जाते है कि सलग्न वसीयत अनुसार भूमि का नामान्तकरण प्रार्थी रामचन्द पुत्र किशनाराम के नाम से दर्ज कर नेस्तारण करवाये। पत्रावली नम्बर शुमार से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/4/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार (भू.अ.)
(दानाराम लूणा)
तहसीलदार (भू.अ.)